

29.11.22 को पेश हुआ
जवाब आयोग में
पेश हुआ

9/11/22 पत्रावली पेशा वकील उभयपक्ष
उपरोक्त रिजल्ट नं. पती. 5, जवाब
पेशा जो 2110 पत्रावली हो, वकील उभय
पक्ष की द्वारा उर म्याद अधिगमन
पर बहस हुनी गई। अपीलानर को
जाड डाली है जो केवल म्याद
पेशा वरि पर म्याद की ओर के मध्य
द्वारा उर म्याद अधिगमन निगरा
की जागर अपीलानर म्याद मानी जाती है।
अपील की विषयवस्तु व प्रस्तुत सक्षम
बहस व प्रार्थना पर के आधार पर
अपीलानर की अपील (निगरा के अर्थ में)
ले निगरा की जाती है विनिर्णय के लिए
पुथक में लिखा जाकर 2110 पत्रावली है।
पत्रावली के अर्थ में म्याद लेना न म्याद
लेना की जागर का विषय वस्तु है।

1102
25/11/22

उपस्थित अधिकारी
खबर (नाम)